मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 22, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री अजय नारायण मुशरान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा ;तथा

(2) सुश्री उमा यादव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001 ; तथा

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1999-2000, वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2000 के लिये,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. ढालसिंह बिसेन, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2001-2002 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल के टी.टी. नगर क्षेत्र में बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय व भवन को किराये पर निजी संस्था को नियम विरूद्ध दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री छोटेलाल सरावगी, सदस्य, शहडोल जिले के अमलाई स्थित ओरियेंट पेपर मिल द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. सभापति तालिका की घोषणा.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम पंचायत पुराना पन्ना में नाले पर पुलिया बनाये जाने,
(ख) पन्ना शहर के इन्द्रपुरी कालोनी एवं जगात चौकी वार्ड में पेयजल टंकी बनाये जाने,
(ग) ग्राम सिंहपुर स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
(घ) पन्ना शहर में वाणिज्यिक कर कार्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगी.

7. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये निर्वाचन

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2004-2005 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों."

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

10. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 जुलाई, 2004